रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2010/माघ 16, 1931
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010/MAGHA 16, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

(क) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 103 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	उद्योग	पेरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"104	प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग	क. चिमनी उत्सर्जन मानक	
		प्रतिदिन 30 टन तक उत्पादन क्षमता	
		स्रोत	सान्द्रता सीमा मि.ग्रा./नार्मल घन मीटर में
		विविक्त पदार्थ	
		क्रशर	500
		केल्सिनर भट्टी	500
		ग्राइन्डर	150
		प्रतिदिन 30 टन से अधिक उत्पादन क्षमता	
		विविक्त पदार्थ क्रशर/कैल्सिनर भट्टी/ ग्राइन्डर	150

टिप्पण :

1. प्रतिदिन 30 टन तक उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों द्वारा भू-सतह से कम से कम 10 मीटर या शैड/भवन के शिखर से 3 मीटर ऊपर, जो भी अधिक हो, ऊंचाई की स्टैक या चिमनी के द्वारा अपना उत्सर्जन उत्सर्जित किया जाए ।

2. प्रतिदिन 30 टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों द्वारा भू-सतह से कम से कम 30 मीटर या शैड/भवन के शिखर से 3 मीटर ऊपर, जो भी अधिक हो, ऊंचाई की स्टैक या चिमनी के द्वारा अपनाउत्सर्जन उत्सर्जित किया जाए ।

ख. फ्यूजीटिव उत्सर्जन मानक (माइक्रो. ग्रा./घनमीटर)

विविक्त पदार्थ	2,000

(1)	(2)	(3)	(4)
		टिप्पण : फ्यूजीटिव उत्सर्जन स्रोत से 10 ±मीटर की दूरी पर प्रबोधित किया जाय ।''	

(ख) अनुसूची VI में, सामान्य उत्सर्जन मानक–भाग–डी, III, भार/संहति आधारित मानकों में क्रम संख्या 8 : कांच उद्योग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, नामत: :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग	उत्पादन क्षमता (टन प्रतिदिन)	मात्रात्मक सीमा, किलोग्राम/टन पूर्णत: तैयार उत्पाद
		विविक्त पदार्थ 30 से कम	4.0
		30 से अधिक	1.5''.।

[फा. सं. क्यू-15017/47/2008-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; स. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; और सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009 और सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010 द्वारा उनका अभी हाल में संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2010

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,

(a) in Schedule-I, after serial number 103 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"104	Plaster of Paris Industry	A. Stack Emission Standards	
		Production Capacity upto 30 tonnes per day (tpd)	
			Source Limiting concentration in mg/Nm^3
		Particulate matter	Crusher 500
			Calciner 500
			Furnace
			Grinder 150
		Production capacity above 30 tpd	
		Particulate matter	Crusher/ Calciner Furnace/ Grinder 150

Notes :—

1. The units having production capacity up to 30 tpd shall channelise their emission through a stack or chimney of height at least ten metres above ground level or three metres above the top of shed or building of the industry, whichever is more.

2. The units having production capacity above 30 tpd shall channelise their emission through a stack or chimney of height at least thirty metres above ground level or three metres above the top of shed or building whichever is more.

B. Fugitive Emission Standards ($\mu g/m^3$)

Particulate matter	2,000

Note:—Fugitive emission shall be monitored at a distance of 10 ± 1metres from the source, irrespective of production capacity.".

(b) in Schedule VI, General Emission Standards—Part D, III. Load/Mass based Standards, after serial number 8 relating to 'Glass Industry' and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)		(4)
"9	Plaster of Paris Industry	Production capacity (tonnes per day)		Quantum limit in/kg/tonne of finished product
		Particulate matter	less than 30	4.0
			above 30	1.5".

[F. No. Q-15017/47/2008-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), 19th November, 1986; and subsequently amended *vide* S.O. 433(E), dated 18th April, 1987; S.O. 64(E), dated the 18th January, 1988 and recently amended *vide* G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; and G.S.R. 1 (E), dated the 1st January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.